प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 1028 / 1992

न्यायपीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. अग्रवाल

अपीलार्थीगण

1. सुंदर उर्फ सुंदर सिंह पुत्र सुखदेव उम्र लगभग 33 वर्ष
2. चिंटू उर्फ सीताराम पुत्र जैतुलंगा उम्र लगभग 30 वर्ष
3. रामनाथ उर्फ फोटका पुत्र डोंडा उम्र लगभग 35 वर्ष
4. जैतराम पुत्र विकट तेनालगा उम्र लगभग 22 वर्ष
5. मैतराम पुत्र विकट तेलंगा उम्र लगभग 20 वर्ष
6. कोंडा पुत्र लखमु तेलंगा उम्र लगभग 18 वर्ष
7. पतिराम पुत्र रामधार उम्र लगभग 30 वर्ष
8. दशमू पुत्र रामनाथ कलार उम्र 40 वर्ष
9. दशरु पुत्र रामनाथ उम्र 45 वर्ष
10. चंदू पुत्र बिलाही तेलंगा उम्र 45 वर्ष

.

सभी निवासी ग्राम फालनगर/मातेनार, थाना दंतेवाड़ा, जिला बस्तर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादी

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़) द्वारा थाना दंतेवाड़ा, बस्तर

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित:-

श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य

(निर्णय)

(दिनांक 26 फरवरी 2010 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा द्वारा निर्णय पारित किया गया:-

1. वर्तमान अपील तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बस्तर जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 242/89 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 29.9.92 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अधीन विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव गठित कर बुद्धू की हत्या करने और लक्ष्मीनाथ को चोट पहुंचाने और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर कर मृतक बुद्धू की हत्या और लक्ष्मीनाथ को उपहति पहुंचाने के लिए दोषी ठहराते हुए अपीलार्थीगण चंदू, चिंटू, दशरू, दशमू को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत, अपीलार्थीगण चिंटू, रामनाथ, सुंदर, कोंडा, पतिराम, जैतराम और मैतराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत और अपीलार्थीगण चिंटू, रामनाथ, सुंदर उर्फ सुंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत और अपीलार्थीगण कोंडा, पतिराम, जैतराम और मैतराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत छह महीने के कठोर कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत दो साल के कठोर कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत आजीवन कारावास के साथ 500/- रुपये का जुर्माना अदा करने का दंडादेश दिया है, जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त छह महीने के कठोर कारावास से दंडित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के, विशेष रूप से विधिविरुद्ध जमाव के गठन और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर कर हत्या करने से संबंधित, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपर्युक्त रूप में दोषी ठहराया और दंडित किया है जो अवैधानिक है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 3.2.88 को दंतेवाड़ा साप्ताहिक बाजार में अपीलार्थीगण की मृतक बुद्धू और घायल लक्ष्मीनाथ के साथ पूर्व से

शत्रुता थी जिन्होंने बुद्धू की हत्या करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और लक्ष्मीनाथ को चोट पहुंचाई और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए रामनाथ लक्ष्मीनाथ को दशमू के साथ सल्फी (नशीला तरल) पीने के लिए ले गया, सल्फी पीते वक्त, अपीलार्थी चंदू ने लक्ष्मीनाथ को थप्पड़ मारा और चिंटू ने भी थप्पड़ मारा, उस समय, मृतक बुद्धू हस्तक्षेप करने आया जिसने कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ था, फिर अपीलार्थीगण ने बुद्धू पर हमला कर दिया, बुद्धू कुल्हाड़ी से खुद को बचा रहा था। अपीलार्थी चिंटू ने मृतक बुद्धू से कुल्हाड़ी छीन ली और उसकी पीठ पर वार किया, अपीलार्थी रामनाथ ने अभियुक्त चिंटू से कुल्हाड़ी छीन ली और उसने भी बुद्धू पर हमला किया, फिर सुंदर ने अभियुक्त रामनाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और उसने भी बुद्धू के सिर पर हमला किया, बुद्धू जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुल्हाड़ी से मृतक के सर पर वार किया गया था। अन्य अपीलार्थीगण ने भी मृतक पर हमला किया और उसके बाद अपने घरों की ओर चले गए। घटनास्थल पर मौजूद परदेशी (अ.सा.-2) ने देहाती नालिशी प्र.पी./5 और मर्ग सूचना प्र.पी/6 दर्ज कराई है। पुलिस साप्ताहिक बाजार में मौजूद थी। गवाहों को आहूत कर मृतक बुद्धू के शव की जांच रिपोर्ट प्र.पी./1 तैयार की गई। घटनास्थल से खून से लिप्त और सादी मिट्टी जब्त की गई जो प्र.पी./2 है। कागज़ के टुकड़े और सल्फी पीने के लिए पत्तों से बनी चिपड़ी को जब्त किया गया जो प्र.पी./3 है। मृतक के शव को शव परीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दंतेवाड़ा भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. विनय कुमार झा (अ.सा.-10) द्वारा किया गया जो प्र.पी./12 है और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. सिर के बायीं ओर एक छिद्रित घाव, आकार 3 सेमी x 1 सेमी.

ii. दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर एक छिद्रित घाव, आकार 3" x 2"। दाहिनी पार्श्विका हड्डी उखड़ी हुई थी।

iii. दाएं पार्श्विका क्षेत्र पर छिद्रित घाव, आकार 3 सेमी x 1 सेमी

iv. इन्फ्रास्पिनैटस क्षेत्र पर छिद्रित घाव, आकार 3 सेमी x 1 सेमी.

v. दाहिने स्कैपुला की हड्डी पर छिद्रित घाव, आकार 3 सेमी x 1 सेमी.

vi. बाएं कंधे पर छिद्रित घाव, आकार 4 सेमी x 1 सेमी.

vii. बाईं ओर पीठ पर 6 सेमी x 4 सेमी के बीच के बहु एकिमोसिस।

चोटें मृत्यु से पहले कारित की गई थीं और मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले की घातक चोटों के परिणामस्वरूप सदमा था। अभियुक्त की पहचान कराई गई और परदेशी (अ.सा.-2) ने प्र.पी./10 के अनुसार शीनाख्ति कार्यवाही में पहचान की। शव-परीक्षण के पश्चात मृतक के सीलबंद कपड़े प्र.पी./11 के अनुसार जब्त किए गए। पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी./16 दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए और विवेचना पूर्ण होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा के न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, जगदलपुर को उपार्पित कर दिया, जहां से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर, बस्तर को सुनवाई के लिए प्रकरण स्थानांतरित कर दिया गया।

5. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों का परीक्षण किया। संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अभियुक्त कथन भी दर्ज किए गए, जहां उन्होंने अपने विरुद्ध दर्शित परिस्थितियों से इनकार किया और अपराध में निर्दोषता और झूठे आरोप में संलिप्त होने की दलील दी।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया।

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आलोच्य निर्णय और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रबलता से तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण मूलतः लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1), अभिकथित घायल साक्षी के साक्ष्य पर आधारित है, जिसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। उसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने उस पर और मृतक पर हमला किया और प्रथमतः जब मृतक के शव की जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो वह उसमें गवाह था और उसने अन्य गवाहों के साथ विशेष रूप से कथन किया था कि कुछ तेलंगा लोगों ने मृतक पर हमला किया, जो उसने जांच रिपोर्ट प्र.पी./1 में अभियुक्त व्यक्तियों का नाम नहीं बताया है, जिससे लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) का साक्ष्य संदेहास्पद हो जाता है। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि बुद्धू और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच गंभीर शत्रुता थी तथा अपीलार्थीगण को पूर्व शत्रुता के आधार पर झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने मृतक बुद्धू की हत्या करने तथा लक्ष्मीनाथ को चोट पहुंचाने के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए विधिविरुद्ध जमाव के गठन को प्रमाणित नहीं किया है। लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि घटना के समय लक्ष्मीनाथ अभियुक्तगणों के साथ सल्फी पी रहा था, सल्फी पीने के दौरान कुछ विवाद हुआ जिससे कुछ झगड़ा हो गया, जब बुद्धू कुल्हाड़ी लेकर लक्ष्मीनाथ को बचाने आया और जब वह अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था, तब एक अभियुक्त ने कुल्हाड़ी छीन ली और उस पर हमला कर दिया तथा दूसरे और तीसरे अभियुक्त ने भी मृतक पर हमला किया। यदि इस साक्ष्य को सत्य मान लिया जाए, तो भी यह मानना कठिन है कि दस अभियुक्तों ने बुद्धू की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूरी तरह विफल रहा है, इसलिए सभी अपीलार्थीगण संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विद्वान अधिवक्ता ने पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य[1] के न्यायदृष्टांत पर अवलंबन किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि मात्र घटना के समय मौके पर व्यक्तियों की उपस्थिति ही उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं बनाती है। अभियोजन पक्ष को विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का हमले से पहले और हमले के दौरान आचरण को सिद्ध करना आवश्यक है।

10. दूसरी ओर, विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने आलोच्य निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित किया है। वर्तमान अपीलार्थीगण ने बुद्धू की हत्या करने और लक्ष्मीनाथ को चोट पहुंचाने के सामान्य उद्देश्य के लिए विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए उन्होंने बुद्धू की हत्या की और लक्ष्मीनाथ को चोट पहुंचाया है। लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) का साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थीगण ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उन्होंने लक्ष्मीनाथ को चोट पहुंचाई और मृतक बुद्धू की हत्या की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. विद्वान अधिवक्ता ने चंद्र बिहारी गौतम व अन्य बनाम बिहार राज्य[2] के न्यायदृष्टांत का अवलंबन किया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अभियुक्तों के एकत्र होने के बाद विधिविरुद्ध उद्देश्य उत्पन्न हो सकती है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य स्थापित किया जाना चाहिए।

12. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के लिए हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण किया है। वर्तमान प्रकरण में, मृतक बुद्धू की मृत्यु-पूर्व कारित घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई हत्या को अपीलार्थीगण की ओर से पर्याप्त रूप से विवादित नहीं किया गया है, दूसरी ओर, डॉ. विनय कुमार झा (अ.सा.-10) के साक्ष्य और

[1] (2009) 10 एससीसी 773
[2] जेटी 2002 (4) एससी 62

शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी/12 द्वारा भी स्थापित किया गया है, जिससे पता चलता है कि मृतक बुद्धू के शरीर पर घातक चोटें पाई गई थीं, जिसमें स्कैपुला हड्डी का फ्रैक्चर भी शामिल था और मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।

13. वर्तमान प्रकरण में, दोषसिद्धि मूलतः लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) और सुंदर लाल (अ.सा.-3) के साक्ष्य पर आधारित है। लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक को वह दंतेवाड़ा के साप्ताहिक बाजार में था, अभियुक्त रामनाथ ने उसे सल्फी पीने के लिए बुलाया। जब वह अभियुक्त रामनाथ, दसरू और दशमू के साथ सल्फी पी रहा था, उसी समय अपीलार्थी चंदू और चिंटू ने उस पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी, तभी मृतक बुद्धू उसे बचाने आया। अपीलार्थी चिंटू ने कुल्हाड़ी से बुद्धू के पीठ पर वार किया, फिर अपीलार्थी रामनाथ ने अपीलार्थी चिंटू से कुल्हाड़ी छीन ली और बुद्धू के पीठ पर वार किया, बुद्धू मौके से बाजार की ओर भाग रहा था, वह गिर गया, फिर अपीलार्थी सुंदर ने कुल्हाड़ी छीन ली और मृतक के सिर पर चार बार वार किया। अन्य अपीलार्थीगण ने भी मृतक पर लाठियों से हमला किया। वे चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे और फिर अपने-अपने घरों की ओर चले गए। वह परदेशी और हीरासिंह के साथ पुलिस थाने गया और रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके समक्ष जांच रिपोर्ट तैयार की गई। परदेशी (अ.सा.-2) जिसने देहाती नालिशी और मर्ग सूचना प्र.पी./5 तथा पी/6 दर्ज कराई है, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया है, लेकिन अपने प्रति-परीक्षण में उसने अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष के समर्थन में कोई कथन नहीं किया है। एक अन्य साक्षी सुंदर लाल (अ.सा.-3) ने लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) के साक्ष्य की पुष्टि की है। अपने प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि घटना के समय अपीलार्थीगण ने उसे धमकी दी, फिर वह बुद्धू को छोड़कर मौके से भाग गया, बुद्धू के पास 30-40 व्यक्ति मौजूद थे और उसने यह नहीं देखा कि किसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसके हाथ में लाठी थी। बचाव पक्ष ने इस साक्षी का विस्तार से प्रति-परीक्षण किया। उसने स्वीकार किया कि बुद्धू के सिर पर चार चोटों के निशान पाए गए थे। अपने प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि जब अपीलार्थीगण ने उसे धमकाया तो वह बुद्धू को छोड़कर भाग गया और बुद्धू के पास 30-40 व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन इस साक्षी से यह नहीं पूछा गया कि अपीलार्थीगण सुंदर, चिंटू और रामनाथ ने बुद्धू को कुल्हाड़ी से चोट नहीं पहुंचाई है। परीक्षण और प्रति-परीक्षण में दिए गए उसके कथन से पता चलता है कि उसने घटना का पहला भाग देखा था और तीन व्यक्तियों अर्थात चिंटू, सुंदर और रामनाथ ने कुल्हाड़ी से बुद्धू पर हमला किया था, फिर धमकी के डर से वह घटनास्थल से भाग गया और घटना का बाद का हिस्सा नहीं देखा। अभियोजन पक्ष ने लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) का विस्तार से प्रति-परीक्षण किया। उसने दोनों पक्षों के बीच गंभीर शत्रुता की बात साफ़ तौर पर स्वीकार की है और स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि तीन लोगों ने बुद्धू पर कुल्हाड़ी से हमला किया और अंततः बुद्धू की मृत्यु हो गई। प्रति-परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष उसके साक्ष्य को अप्रमाणित नहीं कर सके, विशेषकर अपीलार्थीगण चिंटू, सुंदर और रामनाथ द्वारा कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाने के संबंध में। अभियोजन पक्ष ने लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) और परदेशी (अ.सा.-2) के साक्ष्य पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किए हैं। घटना के समय सभी अपीलार्थीगण की उपस्थिति पर कोई विशेष विवाद नहीं है। लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) और सुंदर लाल (अ.सा.-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि सभी अपीलार्थी मौके पर मौजूद थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त दस अभियुक्तों ने बुद्धू की हत्या करने के उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था और सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उन्होंने बुद्धू को चोट पहुंचाई। जैसा कि चंद्रा (सुप्रा) न्यायादृष्टांत में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है, अभियुक्तों के एकत्र होने के बाद विधिविरुद्ध उद्देश्य उत्पन्न हो सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर

विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य का अस्तित्व सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय का कंडिका 6 निम्नानुसार है:

"6. वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि यदि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित ढंग से घटित होना माना जाता भी है और अभियुक्त व्यक्तियों को घटनास्थल पर देखा गया हो, तो भी उन्हें दोषसिद्ध पाते हुए दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष कथित रूप से अभियुक्त व्यक्तियों को स्थापित करने में विफल रहा। धारा 149 दांडिक विधि का एक अपवाद है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके प्रतिनिधिक दायित्व के लिए केवल इस आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है और वह जमाव का सामान्य उद्देश्य अग्रसर कर रहा है, भले ही उसने अपराध करने में वास्तव में भाग लिया हो या नहीं। सामान्य उद्देश्य के लिए हमले से पहले से मिलने या परस्पर सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अभियुक्तों के एकत्र होने के बाद विधिविरुद्ध उद्देश्य उत्पन्न हो सकती है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य का अस्तित्व अभिनिश्चित किया जाना चाहिए। यह सच है कि अभियुक्तों की मात्र उपस्थिति ही उन्हें सामान्य उद्देश्य अग्रसर करने के लिए दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष को यह भी प्रमाणित करना होगा कि वे केवल मूकदर्शक नहीं थे, बल्कि वास्तव में सामान्य उद्देश्य अग्रसर कर रहे थे। जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा संगठित हमला किया जाता है, तो प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का निर्धारण करना प्रायः कठिन होता है, किन्तु इस कारण, विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए किए गए अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए, जिसके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर किए जाने की संभावना ज्ञात थी, सदस्य व्यक्ति उस कार्य को करने से उत्पन्न होने वाले परिणामों से बच नहीं सकता, जो अपराध की श्रेणी में आता है। अचानक हुई लड़ाई में कोई एक उद्देश्य सामान्य नहीं हो सकता है, लेकिन पीड़ित पर योजनाबद्ध हमले में, विधिविरुद्ध जमाव का गठन वाले व्यक्तियों के बीच एक सामान्य उद्देश्य की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।"

15. पांडुरंग (सुप्रा) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्षित किया है कि हमले से पहले और हमले के समय विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का आचरण प्रासंगिक रूप से विचारणीय है। विधिविरुद्ध जमाव का उद्देश्य तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्धारण सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा ले जाए जा रहे हथियारों तथा घटनास्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत, मात्र मौके पर उपस्थित होने से व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विधिविरुद्ध जमाव के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[3] के मामले में कंडिका 17 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया:-

"17. ...किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप है, यह प्रमाणित करना होगा कि वह जमावड़ा गठित करने वाले व्यक्तियों में से एक था तथा उसने जमाव के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत परिभाषित सामान्य उद्देश्य को अपनाया था। धारा 142 में यह प्रावधान है कि जो कोई, ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए जो किसी जमावड़े को विधिविरुद्ध जमावड़ा बनाते हैं,

[3] एआईआर 1965 एससी 202

जानबूझकर उस सभा में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में, धारा 141 के पांच खंडों द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों से प्रेरित और उन्हें अग्रसर करने वाले पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा विधिविरुद्ध जमाव है। ऐसे मामले में निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभा में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर किया था। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय गवाह थे और सभा के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के इरादे के बिना निष्क्रिय जिज्ञासा के कारण सभा में शामिल हुए थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस प्रश्न पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शेरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[4] के मामले में कंडिका 4 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया है:-

"4. ...लेकिन जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ एक सामान्य आरोप होता है तो स्वाभाविक रूप से न्यायालय ऐसे अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर उन सभी को दोषी ठहराने में हिचकिचाता है। अतः हमें कोई उचित परिस्थिति नहीं मिल पाई है जो आश्वस्त कर सके। इस दृष्टिकोण से केवल उपर्युक्त नौ आरोपियों को ही दोषी ठहराना सुरक्षित है, जिनकी उपस्थिति का न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के स्तर पर लगातार उल्लेख किया गया है, बल्कि जिन पर आपराधिक कृत्यों का आरोप भी लगाया गया है।"

18. वर्तमान मामले में, लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि वह अभियुक्त रामनाथ के साथ सल्फी पी रहा था और अभियुक्त चिंटू और चंदू ने उसे

[4] 1991 सप्लीमेंटरी (2) एससीसी 437

थप्पड़ मारा, उस समय, बुद्धू वहां मौजूद नहीं था और जब वह लक्ष्मीनाथ को बचाने आया, तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, तब अभियुक्त चिंटू ने कुल्हाड़ी छीन ली और मृतक बुद्धू की पीठ पर कुल्हाड़ी से हमला किया, फिर अभियुक्त रामनाथ ने अभियुक्त चिंटू से कुल्हाड़ी छीन ली, जिसने भी मृतक पर हमला किया और अंत में सुंदर ने अभियुक्त रामनाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और मृतक पर बार-बार कुल्हाड़ी से हमला किया। इससे पता चलता है कि घटना के समय या लक्ष्मीनाथ को चोट पहुंचाने के दौरान बुद्धू वहां मौजूद नहीं था। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे पता चले कि इस अपराध को अंजाम देने से पहले अपीलार्थीगण के बीच कोई बैठक हुई थी और उन्होंने बुद्धू की हत्या करने का निर्णय लिया था। बुद्धू को किसी ने नहीं बुलाया, बुद्धू स्वयं लक्ष्मीनाथ को बचाने के लिए मौके पर पहुंचा तो तीनों आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। मृतक के शरीर पर लाठी या किसी अन्य हथियार से संबंधित कोई अन्य गंभीर चोट नहीं पाई गई। इस संबंध में साक्ष्य के अभाव में कि घटना से पहले सभी अपीलार्थी एकत्रित हुए और बुद्धू को मारने का निर्णय लिया या यहां तक कि अपराध के समय सभी अपीलार्थीगण ने बुद्धू को घेर लिया या उसका पीछा किया या उस पर हमला किया, यह मानना कठिन है कि अपीलार्थीगण ने बुद्धू की हत्या करने के उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था और विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए उन्होंने मृतक बुद्धू की हत्या की कोटी में आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने पांडुरंग (सुप्रा) के मामले में निर्धारित किया है, हमें उपरोक्त अपीलार्थीगण की कोई विधिविरुद्ध जमाव का गठन दर्शित नहीं होता है, लेकिन अपीलार्थी चिंटू, रामनाथ और सुंदर के कृत्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने मृतक बुद्धू की हत्या की है और उनके कृत्य से पता चलता है कि उन्होंने सामान्य आशय से बुद्धू की हत्या की है। लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि चंदू और चिंटू ने उसके

साथ मारपीट की है, हालांकि उसने डॉक्टर से जांच नहीं कराई है, लेकिन थप्पड़ या उपहति के मामले में मेडिकल साक्ष्य आवश्यक नहीं है। चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में यह उपधारणा की जा सकती है कि अपीलार्थी चंदू और चिंटू ने लक्ष्मीनाथ पर हमला किया है और उसे सामान्य चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए यह माना जा सकता है कि अभियुक्त चंदू और चिंटू ने लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) को विरुद्ध उपहति कारित की है।

20. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149, 302, 148 और 323 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया और दंडित किया, लेकिन मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण के विधिविरुद्ध जमाव को प्रमाणित नहीं किया है, और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. साक्ष्य की सूक्ष्मता से जांच करने पर, हमारा विचार है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने मृतक बुद्धू की हत्या के लिए अपीलार्थी क्र. 1- सुंदर, अपीलार्थी क्र. 2- चिंटू उर्फ सीताराम और अपीलार्थी क्र. 3- रामनाथ द्वारा सामान्य आशय को प्रमाणित किया है और साथ ही अपीलार्थी क्र. 2- चिंटू और अपीलार्थी क्र. 10- चंदू द्वारा लक्ष्मीनाथ (अ.सा.-1) को उपहति कारित करना भी प्रमाणित किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अंतर्गत दंडनीय है।

22. उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी क्र. 2- चिंटू उर्फ सीताराम और अपीलार्थी क्र. 10- चंदू की भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को एतद्द्वारा यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलार्थी क्र. 8- दशमू और अपीलार्थी क्र. 9- दशरू की भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। भारतीय दंड संहिता

की धारा 148 के अंतर्गत अपीलार्थीगण चिंटू, रामनाथ, सुंदर, कोंडा, पतिराम, जैतराम और मैतराम की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी सुंदर, चिंटू और रामनाथ की दोषसिद्धि और दंडादेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 में परिवर्तित किया जाता है और आजीवन कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना अदा करने का दंडादेश दिया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंडादेश दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत अपीलार्थी कोंडा, पतिराम, जैतराम और मैतराम की दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। वे जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी क्र. 1- सुंदर उर्फ सुंदर सिंह, अपीलार्थी क्र. 2- चिंटू उर्फ सीताराम और अपीलार्थी क्र. 3- रामनाथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत उन्हें दी गई दंड की शेष अवधि काटने के लिए जगदलपुर स्थित तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बस्तर/संबंधित सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, उप-संभाग, दंतेवाड़ा के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायमूर्ति

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur